न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 332–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् होशंगाबाद म0 प्र0 प्र0क0 19/बी–103/09–10.

शिवा कार्पोरेशन (इंडिया) लि0
312 गनपति प्लाजा, एम0 आई0 रोड,
जयपुर .....आवेदक

विरूद्ध

1 मध्य प्रदेश शासन
द्वारा उप पंजीयक, होशंगाबाद
2 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक,
होशंगाबाद म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अरविन्द दूदावत, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16–6–2010 को म0 प्र0 खनिज विकास निगम के स्थानीय कार्यालय के निरीक्षण के समय प्रभारी अधिकारी द्वारा नर्मदा नदी रेत विक्रय अनुबंध पत्र, जो कि दिनांक 30–4–2010 को निष्पादित हुआ है, की प्रति उपलब्ध कराई गई । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 19/बी–103/09–10 दर्ज कर आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 17–12–2013 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन दस्तावेज को पट्टा मानकर शिवा कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0

पर प्रीमियम की राशि रूपये 97,65,00,000/– पर साढे सात प्रतिशत की दर से रूपये 7,32,37,500/– मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया एवं अधिनियम की धारा 40 ख के अंतर्गत 1,67,62,600/–रूपये शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल राशि 9,00,00,000/– (रूपये 9 करोड़) 30 दिवस में जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 (16) में पट्टे की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रश्नाधीन विलेख पट्टे की परिभाषा में नहीं आता है । तर्क में यह भी कहा गया कि स्टेट मायनिंग कारपोरेशन द्वारा केवल रेत परिवहन कर विक्रय का अनुबंध किया गया है, इसलिये प्रश्नाधीन दस्तावेज पट्टा विलेख मान्य नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेत का उत्खनन नहीं होता है बल्कि उसका परिवहन होता है, इसलिये भी वह अचल संपत्ति नहीं होने से भी प्रश्नाधीन दस्तावेज पट्टा की परिधि में नहीं आता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 38 ख के अंतर्गत निर्णय का अधिकार मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से कलेक्टर आफ स्टाम्प को न्याय निर्णय का अधिकार नहीं था । यह अधिकार अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत प्रदत्त है । जिसके अंतर्गत दो शर्तो की पूर्ति होना आवश्यक है । प्रथम दस्तावेज अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत परिबद्ध हुआ हो । दूसरा अधिनियम की धारा 38 (2)के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया हो । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 48 ख के अंतर्गत कोई सूचना पत्र आवेदक को नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि सर्वप्रथम कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत की जानी चाहिये । क्योंकि अधिनियम की धारा 48 धारा 40 क का सप्लीमेंट्री सेक्शन है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दस्तावेज की छाया प्रति परिबद्ध नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि राज्य शासन द्वारा मायनिंग कोरपोरेशन को पट्टा दिया गया है और शिवा कोरपोरेशन इण्डिया लि0 के पक्ष में जो दस्तावेज निष्पादित किया

गया है उसमें प्रीमियम का उल्लेख नहीं है । इस कारण भी प्रश्नाधीन विलेख को पट्टा नहीं माना जा सकता है ।

4/ शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन विलेख वास्तव में पट्टा विलेख है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन के द्वारा जो दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन विक्रित होने वाली रेत के मूल्य पर नियमित रूप से विक्रय कर वेट चुका रही है । मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन एक सरकारी उपक्रम है तथा उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके द्वारा केवल रेत का विक्रय अनुबंध किया गया है, जो अनुबंध किया गया है, उसका शीर्षक भी यही दिया गया है । एक शासकीय उपक्रम के द्वारा गलत बयानी करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है तथा ऐसी स्थिति में जबकि निगम के द्वारा विक्रय होने वाली रेत पर वेट भी स्वयं चुकाया जा रहा है, स्पष्ट है कि दस्तावेज का स्वरूप रेत के विक्रय के अनुबंध पत्र का ही है । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन खदान का पट्टा राज्य शासन के द्वारा स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन को दिया गया है । स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन द्वारा उनको मिली खदानों में उत्खनित होने वाली रेत को विक्रय करने के लिये यदि किसी अन्य संस्था से अनुबंध करते है तो यह एक सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया है । निश्चित रूप से इसको पट्टा अथवा उप–पट्टा मानने में कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प द्वारा त्रुटि की गई है ।

6/ अधिनियम की धारा 2(16) के अनुसार अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण पट्टे की श्रेणी में माना गया है । प्रश्नाधीन लिखत अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत लीज या सबलीज की श्रेणी में परिभाषित नहीं होती है क्योंकि इसके द्वारा किसी अचल संपत्ति या उसके किसी भाग को आवेदक को हस्तान्तरित नहीं किया गया है । जहॉ तक रेत के परिवहन का प्रश्न है, रेत को अचल संपत्ति की परिधि में नहीं माना जा सकता है ।

7/ इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा अधिनियम की धारा 48–ख के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने के उपरांत अधिनियम की धारा 33 एवं 40–ख के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । उक्त धाराओं में कार्यवाही हेतू मूल लिखत का परिबद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकरण में मूल लिखत किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत नहीं हुआ है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1070 में निम्नानुसार न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है :–

"The definition of instrument does not include a copy of a document for the purpose of the stamp Act."

स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 33 एवं 40–ख के अन्तर्गत वैधानिक रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है । फिर भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रतिलिपि के आधार पर बिना मूल लिखत को परिबद्ध किये जो कार्यवाही की गई है वह वैधानिक दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन लिखत को अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत पट्टा/उप–पट्टा की श्रेणी में मानने में त्रुटि की गई है तथा इसका स्वरूप रेत विक्रय के अनुबंध का ही है अतः यह लिखत अधिनियम की सारणी 1(क) के अनुच्छेद 5(छ) के अन्तर्गत ही मान्य होगा जिस पर मात्र 100/– रुपये के स्टाम्प शुल्क देय है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

10/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1444–पीबीआर/14 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर